IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
IJARSCT
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 1, December 2022

कटनी जिले में संचालित पिछड़ी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रमों का जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

विभूति यादव[1] and डॉ. ध्रुव कुमार द्विवेदी[2]
शोधार्थी (भूगोल), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)[1]
प्राचार्य, सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)[2]

शोध–सारांशः मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है तथा वह अपने शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ आर्थिक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। इन आवश्यकताओं में सबसे आधारभूत है–भोजन, वस्त्र एवं आवास। बिना इनको प्राप्त किए मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जायेगा और उसका सामाजिक जीवन भी खतरे में पड़ जायेगा। मानव समाज (सभ्य या असभ्य) की एक विशेषता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य संगठित होकर प्रयत्न करता है यह संगठित अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। आदिम अर्थव्यवस्था में संगठन व सहकार्य एवं अपरिहार्य बाध्यता होती है, क्योंकि शक्तिशाली प्रकृति पर विषय पाकर उत्पादन संभव करना, एक मनुष्य के वश की बात नहीं है। शिकारियों के झुण्ड, मछुआरों की टोलियां, पुशपालन के समूह, मजदूरों के झुण्ड यह सभी सहकार्य के लिए विख्यात है। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में अध्ययन करने का प्रयास है।

मुख्य शब्दः भारत, सरकार, संचालित, पिछड़ी, जनजातियों, विकास, कार्यक्रमों, प्रभाव, भौगोलिक, अध्ययन आदि।

प्रस्तावना

जनजातीय समाज आज भी प्रकृति के अति निकट है, विश्व की 30 करोड़ जनसंख्या इन्हीं वन्य जातियों की है, वर्तमान भारत में 6.77 करोड़ जन जातियाँ आवासित हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 8.01 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ की 30.62 प्रतिशत जनसंख्या सन् 2011 की जनगणनानुसार इस वर्ग में आती है। भारतीय संविधान की धारा 342 के अन्तर्गत इन्हें मान्यता देकर विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने एवं परिवहन के सीमित सुविधाओं के कारण जनजातियों का सम्पर्क देश के अन्य भागों में नहीं रहा। वे अपने वातावरण में अलग ही आत्मनिर्भर होती रही तथा बाहरी दुनिया से उनका कोई जीवन्त सम्पर्क नहीं रहा। प्राचीन एवं परम्परागत संस्कृति एवं आर्थिक क्रियाकलाप उनकी विशेषता है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कुल 42 जनजातियाँ है, जो दूरस्थ अंचलों में फैली हुई हैं। आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़ी जातियाँ अपने भोजन, वस्त्र, आवास, उद्यम, उपकरण प्रकृति से प्राप्त करती हैं। इनके निवास स्थल सघन वन घास के मैदान, ऊबड़–खाबड़ भूमि तथा नगरों के उपान्त क्षेत्र होती है, जो लघु समूहों में अस्थायी

झोपड़ों में रहते हैं। ये भारत के मूल निवासी अपने भौतिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से समायोजन कर अपने जीवन को संचालित करते हैं जैव एवं अजैव की यह परस्पर क्रिया पारिस्थितिकी की तंत्र कही जाती है। वर्तमान में सभ्य समाज के सम्पर्क से इनके पर्यावरण में उपलब्ध भौतिक सम्पदा संसाधन बन गई है। शासन की सहायता के बाद भी ये आपदाओं से आक्रांत है। जनजाति पारिस्थितिकी में उपलब्ध संसाधनों का कैसे उपयोग करें कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग तो हो पर ह्रास न हो। वर्तमान जनजाति समाज में उभरी समस्याओं को उनके भौगोलिक परिवेश एवं पारिस्थितिकी के अनुरूप नियोजन प्रस्तुत करना तथा जनजाति पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्था में दशक में आदिवासी विकास कार्यक्रमों का जनजातीय पर्यावरण पर प्रभाव पाये जाने वाले परिवर्तनों को उद्घाटित करना प्रस्तुत शोध कार्य का मुख्य लक्ष्य है।

मध्यप्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है। भारतीय संविधान की धारा 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देकर उनके संरक्षण हेतु आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शासकीय सेवाओं में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार करोड़ों रुपये उनके पारिस्थितिकी संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु खर्च करती है, किन्तु उनके पारिस्थितिकी के अनुरूप संसाधनों का प्रबंधन किया जाता तो जनजाति संस्कृति नष्ट न होती तथा जनजाति पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान संसाधनों को अतिशोषण एवं ह्रास होने से संरक्षित किया जा सकता था।

''कटनी जिले के अन्तर्गत शासकीय योजनाओं का जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक 'विकास पर प्रभाव'' के रूप में शोध–पत्र का चयन प्रमुख रूप से ग्रामों में शोध करने की प्रेरणा मिली। तमाम सकारात्मक परिस्थितियां अध्ययन क्षेत्र की विषय में छात्र जीवन से ही रूचि होना एवं ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति में लालन–पालन होना तथा शोध कार्य हेतु उपलब्ध हो सकने वाले लिटरेचर (साहित्य) आदि शोध कार्य की प्रेरणा के प्रमुख कारक हैं। जनजाति पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एवं वहां पाये जाने वाले संसाधनों का उपयोग एवं संवर्द्धन की आपूर्ति में जनजातियों की सहभागिता आवश्यक है, यह भी शोध का लक्ष्य है। भारतीय संविधान द्वारा जनजातियों को मिलने वाली संवैधानिक सुरक्षाएँ इस प्रकार है–

1. अनुच्छेद 15(4) जनजातियों का सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से विकास के लिये प्रावधान करता है।
2. संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्य को सरकारी नौकरी में जनजाति लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु आरक्षण का अधिकार देता है।
3. अनुच्छेद 19(15) जनकजातियों की सम्पत्ति के हितों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
4. अनुच्छेद 23 जनजातियों के दुर्व्यवहार, बेगार, बंधक मजदूरी आदि बलातश्रम का निषेध करता है।
5. अनुच्छेद 29 अनुसूचित जनजाति को अपनी भाषा, बोली तथा संस्कृति में सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है।
6. अनुच्छेद 46 इनकी शैक्षणिक व आर्थिक विकास के विषय में सुरक्षा देता है।
7. अनुच्छेद 146 अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों में जनजाति मंत्री के प्रावधान का उल्लेख करता है।

8. अनुच्छेद 244 जनजाति क्षेत्र में छठवीं अनुसूची के अन्तर्गत स्वशासन की व्यवस्था करता है।
9. अनुच्छेद 275 जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था करता है।
10. अनुच्छेद 230 लोकसभा में, अनुच्छेद 332 राज्य की विधान सभाओं में जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण सुविधा देता है। साथ ही अनुच्छेद 334 के अनुसार उपरोक्त व्यवस्था सन् 2026 बनाये रखने की संस्तुति करता है।
11. अनुच्छेद 335 संघ या राज्य सेवाओं के सरकारी नौकरियों में जनजातियों हेतु पदों के आरक्षण की व्यवस्था करता है।
12. अनच्छेद 339(1) अनुसूचित क्षत्रों में जनजाति आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

उद्देश्य:

जनजाति पारिस्थिकिी के अध्ययन का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. जनजातियों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना एवं उसके अनुकूल दैनिक जीवन के आचरण को ढालना।
2. जनजातियों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना।
3. जनजातियों में अन्धविश्वास को दूर करना तथा पौधों की पारिस्थितिकी (वैज्ञानिक क्रिया) के अनुकूल आचरण का विकास करना।
4. सामाजिक शोषण से मुक्त करना है।

पुनरावलोकन (Review Literature)

कालीपयेरूयल पी. एवं लोगनाथन पी. ने वर्ष 1989 में ''इलाकुरूचि गांव में कृषि साख का सूक्ष्म अध्ययन'' शीर्षक से किया गया। उन्होंने अपने अध्ययन में कृषि उपज एवं कृषि लागत का अनुमान लगाया है। कृषि साख के क्षेत्र में विभिन्न साख संस्थाओं के दायित्वों को सुनिश्चित किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि छोटे किसान अपने कृषि वित्त की पूर्ति 10 प्रतिशत तक ही पूरा करने में समर्थ हाती हैं जबकि अन्य कृषक अपनी कृषि की पूर्ति 25 प्रतिशत तक पूरा करने में समर्थ है। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि छोटे किसान कृषि के लिये आवश्यक वित्त एवं स्वयं जुटाने में प्रायः असमर्थ होते हैं। वाणिज्यिक बैंक एवं कृषि साख सहकारी समिति के द्वारा किसानों को उनकी कुल ऋण आवश्यकता की 30.98 प्रतिशत की पूर्ति की गयी। इसमें वाणिज्यिक बैंक का योगदान 47.97 प्रतिशत तथा सहकारी समिति का योगदान 32.92 प्रतिशत था। शेष 13.12 प्रतिशत ऋण की प्राप्ति निजी स्त्रोत महाजनों–मित्र एवं रिश्तेदारों से प्राप्त किए थे। इस प्रकार कृषकों की साख आवश्यकता एवं बैंकों की साख पूर्ति में बहुत अधिक अंतराल है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए इए अंतराल की पूर्ति आवश्यक है।

शर्मा, डॉ. बी.डी. ने अपने शोध कायरूप में यह निष्कर्ष निकाला कि आदिवासी क्षेत्रों में संचार एवं परिवहन साधनों का पूर्णतया अभाव है, यह आदिवासियों की सांस्कृति और आर्थिक उन्नति में बाधक तत्व है। परिणामस्वरूप इनके संचार (यातायात एवं परिवहन के साधन) अभाव में इन्हें (आदिवासियों को) अपनी उत्पादित वस्तुएँ बहुत सस्ते दामों पर स्थानीय व्यापरियों को बेचनी पड़ती है, और बाहर से आने वाली इनकी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु इन्हें महंगी खरीदनी पड़ती है।

दास, श्री बी.कुमार (1984) ने आदिवासी अर्थव्यवस्था के विकास पर अपना शोध कार्य सम्पन्न किया जिसमें पिछले 35 वर्षों से (आदिवासियों के विकास हेतु) क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की कमियों पर दृष्टिपात किया। इन्होंने अपने शोध कार्यों में यह निष्कर्ष निकाला कि आदिवासी विकास कार्यक्रम की योजनाएं, एकीकृत विकास कार्यक्रम के बैलों की पूर्ति, बीज खाद की पूर्ति, आवासीय समस्या आदि पर विशेष छूट नहीं दी जा सकी है। गैर आदिवासी लोग (वे लोग जो निर्धन नहीं है) इन योजनाओं से लाभ उठा लेते हैं और आदिवासी समुदाय (अशिक्षित होने के कारण) इन लाभों से वंचित हो जाते हैं। योजनाओं पर भूमि निर्वसन, जंगल काटना तथा शहरी व्यक्तियों द्वारा शराब बेचनवा आदि समस्याओं को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि ये समस्याएँ आदिवासियों के अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में बाधा उत्पन्न करती है। श्रीदास ने सुझाव दिया है कि आदिवासी विकास कार्यक्रमों में पुनः सुधर की आवश्यकता है, ताकि आदिवासी समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आदिवासी क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास किया तथा आदिवासियों को तकनीकी शिक्षा देकर तथा उनकी रोजगार तथा आय में वृद्धि की जानी चाहिए और उसमें स्वयं ही विकास की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है।

वर्ष (1978) में कृषि संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा बस्तर जिले में आदिवासियों एवं गैर आदिवासियों की खरीफ फसल (धान) के उत्पादन का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि आदिवासी हरिजन समुदायों में खरीफ के अंतर्गत धान के प्रतिशत क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे–जैसे औसत भूमि का आकार कम होता गया है, धान का क्षेत्र भी प्रभावित होता गया है, धान का क्षेत्र भी प्रभावित होता गया है। जबकि अन्य गैर आदिवासी समुदायों में धान का क्षेत्र परिवार के औसत आकार की तुलना में औसत भू–आकार से अधिक प्रभावित होता है। क्योंकि गैर आदिवासी समुदाय अपेक्षाकृत सम्पन्न होने के कारण पारिवारिक श्रम की कम किराए पर श्रम प्राप्त करके पूरी कर लेता है। सर्वेक्षण के अनुसार धान की क्षेत्र संपूर्ण बस्तर जिले में 62.15 प्रतिशत था तथा शेष क्षेत्र में अन्य फसलें थी। इसी प्रकार कृषि संचालनालय भोपाल द्वारा वर्ष 1975 एवं 1977 में बस्तर जिले के दंतेवाड़ा एवं कोंटा तहसीलों का एग्रो इकोनामिक सर्वे किया गया जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला गया कि ''आदिवासी जिले बस्तर में धान का प्रतिशत क्षेत्र आदिवासियों की अपेक्षा अन्य समुदायों का अधिक रहता है। उल्लेखनीय है कि खरीफ धान का क्षेत्र आदिवासियों का दंतेवाड़ा अध्ययन में 59.63 प्रतिशत तथा कोंटा अध्ययन में 68.4 प्रतिशत था, जबकि गैर आदिवासियों का दंतेवाड़ा अध्ययन में 65.10 प्रतिशत तथा कोंटा अध्ययन में 85.91 प्रतिशत पाया गया था।

प्रसाद, डॉ. रोहिणी एवं बाजपेयी, डॉ. ए.डी.एन. ने वर्ष (1988) बस्तर जिले के आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत रोजगार तथा आय नामक विषय पर शोध किया। इनका यह शोध प्राथमिक समूहों पर आधारित था जिसमें 160 न्यादर्श परिवारों का प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया और सांख्यिकी यंत्रों के द्वारा विश्लेषित किया गया। अध्ययन के निष्कर्षानुसार आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत 90.87 प्रतिशत आदिवासी 85.36 प्रतिशत हरिजन एवं 80.00 प्रतिशत गैर आदिवासी रोजगार प्राप्त किए। आदिवासियों की प्रतिशत सर्वाधिक था जिसका कारण यह था कि यह समुदाय दैनिक निर्मित होने वाली वस्तुओं की और अधिक उन्मुख हुआ क्योंकि वे वस्तुएं शीघ्र प्रदान करने वाली

इस शोध में श्री पटेल ने निष्कर्ष निकाला कि इन पिछड़े क्षेत्रों में प्रशासनिक, वित्तीय, यातायात व्यापार, विस्तार सेवाएँ (दैनिक बाजार थोक बाजार तथा साप्ताहिक बाजार) डाक सुविधाएँ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि आदि पूर्ति सेवाएं तथा विद्युत व्यवस्था आदि को जितनी अधिक मात्रा में स्थापित किया जाएगा उतना ही अधिक इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा।

इसी प्रकार वर्ष 1977–78 में संचालनालय आदिम जाति क्षेत्रीय योजनाएं मध्यप्रदेश के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि आदिवासी समुदायों के पास आय के स्त्रोत अपर्याप्त होने से आदिवासी सरलता से साहूकारों के शिकंजों में आ जाते हैं। वे अनिवार्य आवश्यकताओं के लिये कर्ज लेते ही हैं, परंतु सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही नगदी तथा वस्तुओं के रूप में कर्ज लेते हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विकास कार्य योजनाः

वर्ष 2017–18 से पहले केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 2010 में गठित कार्यबल के सुझाए मानदंडों के अनुरूप जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की नीति के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित की जाती थी। इन राशियों का आवंटन विशेष रूप से होता था और मंत्रालयों/विभागों के योजना प्रबंधन के हिसाब से किया जाता था। गैर–योजना कोष टीएसपी के दायरे से बाहर रखे जाते थे। 2017–18 में योजना और गैर–योजना कोषों के विलय के बाद की नई बजट प्रणाली में टीएसपी का नाम बदलकर डीएपीएसटी अर्थात् 'अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना' या 'अनुसूचित जनजाति घटक योजना' (एसटीसी) कर दिया गया। एसटीसी के तहत केंद्र सरकार के करीब 41 मंत्रालय/ विभाग चिन्हित किए गए। राज्य सरकारों को भी अपनी कुल जनसंख्या में से जनजातीय आबादी के अनुपात के अनुसार अपनी एसटीसी निर्धारित करनी पड़ी। एसटीसी के लिए कोष आवंटन केंद्र क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के सकल आबंटन से ही किया जाता है, मंत्रालय/विभाग के कुल बजट में से नहीं। लेकिन ऐसी लचीली व्यवस्था जरूर है कि मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष गतिविधियों के लिए कोच आबंटित कर सकते हैं बशर्ते की उनकी योजनाएं अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़ी न हों और उनके कार्य का सीधा उद्देश्य इन समुदायों का कल्याण न हो।

इन सबके अतिरिक्त भारत सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र–प्रायोजित कई योजनाएं भी चला रही है। सरकार जनजातीय कल्याण की योजनाएं लागू करने में राज्यों को सहायता देती है तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने से जुड़े अनुसंधान और विकास पर निवेश भी करती है।

जनजातीय कल्याण की केंद्रीय क्षेत्र वाली और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :

1– जनजातीय उपयोजना या राज्यों की जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता : जनजातीय लोगों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच का अंतर कम करने के लिए मानव संसाधन विकास करने, जीवन स्तर बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाकर बेहतर अवसर जुटाने तथा गरीबी दूर करने के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है।

2– अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान : राज्यों में अपने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रषासन में सुधार लाकर उन्हें शेष राज्यों की बराबरी पर लाने के अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यों के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को राजकोष में से सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सहायता राज्यों के प्रयासों में सहयोग के लिए ही दी जाती है ताकि प्रशासन में महत्वपूर्ण अंतराल की भरपाई हो सके।

3– छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाएं : केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाओं की व्यवस्था की है और ये शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दी जाती है, जैसे–मैट्रिक–पूर्व शिक्षा और मैट्रिक–पश्चात शिक्षा। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बढ़ावा देने के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम यानी उच्च शिक्षा योजना चलाई जा रही है जो अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है।

4– स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान : उपरोक्त छात्रवृत्तियों और फेलोशिप के अलावा भारत सरकार राज्यों को कई अन्य योजनाओं के जरिए मदद करती है। ये योजनाएं हैंः– (1) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान, (2) विशेष रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय समूहों के विकास की योजना, (3) जनजातीय लोगों के उत्पादों की हाट–व्यवस्था विकसित करने के लिए संस्थागत समर्थन की योजना, और (4) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के बीच शिक्षा व्यवस्था सशक्त बनाने की योजना।

पीवीटीजी की सुरक्षा के लिए विशेष कोष

विशेष रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय समूह पीवीटीजी ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जो प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता या कृषि पूर्व स्तर में है और जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का बेहद कम स्तर और अर्थव्यवस्था में गिरावट है। आजीविका, स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार लाकर इन्हें आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

बालिकाओं (लड़कियों की शिक्षा के लिए)

केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण और बालिका–शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जनजातियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से झारखं डमें अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अधिक क्षेत्र आबंटित किया गया है।

साथ ही, जनजातीय अनुसंधान को भी महत्व दिया जा रहा है। भारत सरकार राज्यों के जनजातीय विकास के लिए जनजातियों पर अनुसंधान करने पर जोर दे रही है तथा इसके लिए जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन, जनजातियों के प्रति जागरूकता और जानकारी का प्रसार करने की योजना बनाने और कानून बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान अनुसूचित जनजातियों के उन पात्र लोगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है जो मानदंडों के अनुरूप प्रक्रिया के अनुसार आय पैदा करने के कार्य या स्वरोजगार करना चाहते हैं।

भारत सरकार की ओर से जनजातीय आबादी को शिक्षित बनाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जनजातीय बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल के रिहाइशी स्कूलों के विकास पर बल दिया जा रहा है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को महत्व देने के उद्देश्य से सरकार ने 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही जनजातीय नेता बिरसा मुंडा का जन्मदिन (जयंती) भी है। इस फैसले से आने वाली पीढ़ियों को महान बिरसा मुंडा का इतिहास जानने में मदद मिलेगी और उन्हें देश के लिए उनके त्याग एवं बलिदान का पता चलेगा।

वन उत्पादों पर जनजातीय लोगों के अधिकार को समझते हुए भारत सरकार ने अभी हाल में कृषिवन प्राकृतिक संसाधन आधारित सूक्ष्म उद्योग लगाने पर जोर दिया है। छोटे वन उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था के लिए तंत्र स्थापित करने की हाल में शुरू की गई योजना– 'वनधन विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत जनजातीय लोगों को छोटे वन्य उत्पादों की बिक्री की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे वैल्यू चेन विकसित कर सकें।

मौजूदा योजनाओं में सुधार

वर्ष 2021–26 के लिए, कई मौजूदा योजनाओं को एक–दूसरे के साथ मिला दिया गया है, उन्हें सुधार कर नया रूप दिया गया है और उनके दायरे को बड़ा कर दिया गया है। आदिवासियों के समग्र विकास के लिए बनाई गई 3 योजनाएं इस प्रकार हैं।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

एससीए से टीएसएस की मौजूदा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' के तहत 36,428 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इन गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इन गांवों में आदिवासियों की आबादी 500 से अधिक और कुल संख्या की 50 प्रतिशत तक है। 1354 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसका उपयोग जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को उनकी संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए 87,554 करोड़ रुपए के एसटीसी घटक के अलावा गैप फिलिंग व्यवस्था के रूप में किया जाएगा। अगले पांच वर्षों के लिए 7276 करोड़ रुपये की धनराशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

इस मिशन का लक्ष्य वन धन समूहों के गठन के माध्यम से अगले पांच वर्षों में आजीविका संचालित आदिवासी विकास हासिल करना है। इन वन धन समूहों को वन धन केंद्रों के रूप में संगठित किया गया है। आदिवासियों द्वारा एकत्रित एमएफपी को इन केंद्रों में संसाधित किया जाएगा और वन धन निर्माता उद्यमों के माध्यमों से इनका विपणन किया जाएगा। ''आत्म–निर्भर भारत अभियान'' के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्षों में एन हाट बाजार और माल गोदाम विकसित किए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड नोडल एजेंसी होगी। वन उत्पादों का विपणन ट्राइब इंडिया स्टोर्स के माध्यम से किया जाएगा। मिशन के तहत अगले पांच वर्षों के लिए 1612 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

एसटी के लिए वेंचर कैपिटल फंड

'अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ–एसटी)' की नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य एसटी समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वीसीएफ–एसटी योजना एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने और एसटी युवाओं द्वारा स्टार्ट–अप की सोच को विकसित करने और उनका समर्थन करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की एक पहल होगी।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, December 2022
IJARSCT
Impact Factor: 6.252

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में समुदायों, समाजों और सभ्यताओं जैसी संस्थाओं का विकास आमतौर पर स्थिति और पर्यावरण जैसे विभिन्न कारणों के समावेश पर आधारित होता है। जहां भारत जैसे देश में जनजातीय समुदाय की मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा है वहीं स्थितिजन्य और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे झारखंड की जनजाततियों की प्रगति और विकास में बाधक बने हुए हैं। इसके बावजूद, मध्यप्रदेश में जनजातीय लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति मध्यप्रदेश की जनसंख्या के अन्य वर्गों के मुकाबले किसी प्रकार भी कम नहीं है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार के प्रयासों के अपेक्षित परिणाम निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के गांव और पंचायतें ढांचे और संसाधनों की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से किसी प्रकार भी पीछे नहीं हैं। इस तरह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सभी समुदायों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

लोगों और समुदायों के सर्वांगीण विकास और उन्नति को प्रभावित करने वाले प्रमुख स्थितिजन्य मुद्दे मध्यप्रदेश के सभी समुदायों के अनुकूल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश की सभी जनजातियों के लिए विभिन्न नई योजनाएं शुरू करके और जनजातीय जीवनशैली, कला, संस्कृति और देश के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करके इस दिशा में अहम पहल की है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान केंद्र सरकार के शासनकाल में जनजातीय लोगों के कल्याण की दिशा में प्रयास कई गुणा बढ़ गए हैं जिससे जनजातीय लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति भी तेजी से सुधरी है। निस्संदेह इन प्रयासों और भारत सरकार की निरंतर वित्तीय सहायता से जनजातीय और गैर–जनजातीय लोगों के बीच का अंतर दूर हो जाएगा और सभी समुदाय तेज और संतुलित विकास करके मुख्यधारा में बराबरी पर आ सकेंगे।

संदर्भ स्रोत

[1]. बी.एस. गुहा, 1991

[2]. ए जेनेटिक ऑफ उरांव्स ऑफ छोटा नागपुर प्लैटो, आर एल कर्क, एल वाई सी लाइ, जी एच वोंस, एल पी विद्यार्थी, 1962, अमेरिकन जनरल ऑफ फिजिकल एथ्रोपोलॉजी, 20(3), पृ0 375–385

[3]. एन एनशेंट हिस्ट्री : एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ द संथाल, अरुण डे, जुलाई– अगस्त, 2015, इंटरनेशनल जनरल ऑफ नॉवेल रिसर्च इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 2, पृ0 4, पृ0 31–38, आईएसबीएन 23949694

[4]. झारखंड मूवमेंट–इंडिजीनस पीपुल्स स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया, आरडी मुंडा और एस बसु मलिक, कॉपीराइट 2003 आईडब्लूजीआईए और बिरसा, आईएसबीएन 89–90730–72–0 और आईएसबीएन 0105–4503

[5]. गाइडलाइंस फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड इंप्लीटेशन ऑफ प्रोग्राम्स/एक्टिविटीज अंडर प्रोविजो टु आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2020–21 एंड ऑनवर्ड्स ऑर्डर नं. 18015/06/2019–ग्रांट्स दिनांक 23.04.2020

[6]. https://dashboard tribal.gov.in द डैशबोर्ड फॉर रियल–टाइम डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स

[7]. https:// tribal.nic.in जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की सरकारी वेबसाइट है

[8]. https://missionantyodaya.nic.in भारत सरकार के मंत्रालयों की अफीम के सेवन और संसाधनों के प्रबंधन के लिए यह मिशन अंत्योदय 2020 की सरकारी वेबसाइट है https://rchiips.org/nhfs नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे– 5 अक्टूबर, 2021

[9]. https://stcmis.gov.in/STC मॉनीटरिंग सिस्टम

[10]. योजना, जुलाई 2022, भारत में जनजतियाँ – पृ. क्र. 44–45